न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/244
मुकदमा नम्बर 75/2025 दर्ज दिनांक– 20.05.2025

1. प्रीती उर्फ प्रियंका कुमारी
2. बबलू उर्फ रमेश मीणा
3. लीलम उर्फ नीलम पुत्री व पुत्र श्री रणवीर जाति मीणा निवासीगण खिरोड, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री जयपाल शेखावत
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में खाता सं. नया 200 पुराना 160 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1444 रकबा 1.49 है0 खसरा नं. 1830 रकबा 1.91 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.40 है0 में प्रार्थीया नं. 1 का नाम प्रिती पुत्री रणवीर के स्थान पर प्रियंका पुत्री रणवीर,प्रार्थी सं. 2 का नाम बबलू पुत्र रणवीर के स्थान पर रमेश मीणा पुत्र रणवीर, प्रार्थी सं. 3 का नाम लीलम पुत्री रणवीर के स्थान पर नीलम पुत्री रणवीर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/9251 दिनांक 26.08.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/9251 दिनांक 26.08.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में खाता सं. नया 200 पुराना 160 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1444 रकबा 1.49 है0 खसरा नं. 1830 रकबा 1.91 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.40 है0 में प्रार्थीया नं. 1 का नाम प्रिती पुत्री रणवीर के स्थान पर प्रियंका पुत्री रणवीर,प्रार्थी सं. 2 का नाम बबलू पुत्र रणवीर के स्थान पर रमेश मीणा पुत्र रणवीर, प्रार्थी सं. 3 का नाम लीलम पुत्री रणवीर के स्थान पर नीलम पुत्री रणवीर, दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/9251 दिनांक 26.08.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू